

टिप्पणी

कृपया मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में नयी आवासीय योजना लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में पूर्व में नियोजित ग्राम-भट्टा के अन्तर्गत पॉकेट-7A, को सैक्टर-18 में ग्राम-अच्छेजा बुजुर्ग के समीप इन्फॉर्मल सैक्टर में शिफ्ट करते हुये पुनः नियोजित किया गया है व पॉकेट-7C, 7D, 7E में नियोजित भूखण्डों की संख्या को टी-एस0-06 में शिफ्ट करते हुये पुनः नियोजित किया गया था तथा पॉकेट-7B & 7F को 45 मी0 सड़क के साथ उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के समीप पुनः नियोजित किया गया था।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में वर्तमान में सम्पत्ति विभाग द्वारा पत्रांक-YEIDA/RRPS/सम्पत्ति/850/2024 दिनांक-25.10.2024 के क्रम में नयी आवासीय भूखण्डों की योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्राधिकरण के पूर्व नियोजित सैक्टरों में रिक्त भूमि पर भूखण्ड नियोजित कर प्राधिकरण की नयी आवासीय भूखण्ड योजना में शामिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (सी-1224 पर संलग्न है)।

तदक्रम में नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में नियोजित सैक्टर-18 के अन्तर्गत पॉकेट-7A, 7B, 7D, 7E & 7F को शिफ्ट करने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि को Future Use-Residential के रूप में चिह्नित किया गया है। अतः वर्तमान में नियोजन विभाग द्वारा सैक्टर-18 में प्रश्नगत ग्राम-भट्टा व पारसौल की भूमि में निम्नानुसार भूखण्ड नियोजित किये गये हैं:-

कस0	पॉकेट	नियोजित भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों का क्षेत्रफल
1	9A	203	162 Sqm
2	9B	276	200 Sqm
Total		479	

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त भूखण्डों के नियोजन से पूर्व परियोजना विभाग/भूलेख विभाग व विधि विभाग से सैक्टर-18 में Future Use हेतु चिह्नित भूमि का सर्वे/भूमि की उपलब्धता/रिट-स्टे की स्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से आख्या प्राप्त की गयी है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- परियोजना विभाग पत्रांक-वाई.ई.ए./SM/WC-1/2024 दिनांक-24.10.2024 के माध्यम से सर्वे उपलब्ध कराया गया है, जो सी-1219 से सी-1220 पर संलग्न है। परियोजना विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वे के आधार ग्राम-भट्टा में पुनः नियोजित भूखण्डों का तलपट मानचित्र तैयार किया गया है।
- भूलेख विभाग द्वारा पत्रांक-वाई.ई.ए./भूलेख/2024/787 दिनांक-28.10.2024 के माध्यम से ग्राम-भट्टा की भूमि के अधिग्रहण/कब्जा प्राप्त के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जो कि सी-1225 से सी-1243 एवं पत्रांक-वाई.ई.ए./भूलेख/1055/2024 दिनांक-28.10.2024 के माध्यम से ग्राम-पारसौल की भूमि के अधिग्रहण/कब्जा प्राप्त के सम्बन्ध में आख्या एवं मानचित्र पर भूमि की उपलब्धता अंकित कर उपलब्ध करायी गयी है, जो सी-1262 से सी-1264 पर संलग्न है।
- विधि विभाग द्वारा पत्रांक-वाई.ई.आई.डी.ए./विधि/2740/2024 दिनांक-28.10.2024 के माध्यम से ग्राम-भट्टा व पारसौल रिट/स्टे के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जो कि सी-1244 से सी-1261 पर संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि महायोजना-2031 के स्तर से किसी भी भू-उपयोग में परिवर्तन नहीं हुआ है व सैक्टर-18 की Future Use हेतु आरक्षित भूमि में आवासीय भूखण्ड ब्लॉक-9ए के रूप में प्लॉट एरिया, रोड एरिया, फैसेलिटी एरिया, ग्रीन एरिया 73475.25 वर्गमी0 की वृद्धि हुई है व ब्लॉक-9बी के रूप में प्लॉट एरिया, रोड एरिया, फैसेलिटी एरिया, ग्रीन एरिया 108016.46 वर्गमी0 की वृद्धि हुई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

टिप्पणी

• Pocket-9A (Area-73475.25 Sqm)

SNo	Uses	Area (in Sqm)
1	Residential	32866.00
2	Park + Green	4029.79
3	Facility	2000.00
4	Road	34579.46

• Pocket-9B (Area-108016.46 Sqm)

SNo	Uses	Area (in Sqm)
1	Residential	55200.00
2	Park + Green	9067.25
3	Facility	3504.88
4	Road	40244.33

उपरोक्त के क्रम में सेक्टर-18 के Future Use हेतु चिन्हित भूमि में पॉकेट-9A व 9B को नियोजित करते हुये सेक्टर-18 का पुनरीक्षित तलपट मानचित्र तैयार कर किया गया है, जो सी-1265 पर संलग्न किया गया है, जिसके क्रम में सेक्टर-18 के एरिया स्टेटमेन्ट में आंशिक संशोधन हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत है।

USES	PROPOSE D AREA (SQ.M.) APP	PROPOSE D AREA (SQ.M.) APP	PROPOSE D AREA (HA.) APP	DIFFERENCE S	% age
TOTAL SECTOR AREA	18186417.45	18186417.45	1818.64	0.00	
AREA UNDER MASTER PLAN ROAD	715841.67	715841.67	71.58	0.00	
AREA UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL	246308.00	246308.00	24.63	0.00	
AREA UNDER MASTER PLAN CANAL	67509.83	67509.83	6.75	0.00	
AREA UNDER MASTER PLAN ABADI & ABADI SETTLEMENT	5178894.12	5178894.12	517.89	0.00	
AREA UNDER MASTER PLAN TRANSPORT (F.U.)	435958.49	435958.49	43.60	0.00	
FUTURE USE	1259713.29	1078221.58	107.82	-181491.71	
WATER TREATMENT PLANT	321357.44	321357.44	32.14	0.00	
NET AREA OF SECTOR	9960834.61	10142326.32	1014.23	181491.71	100.00
RESIDENTIAL PLOT AREA	4493132.69	4581198.69	458.12	88066.00	45.17
FACILITY	339956.66	345461.54	34.55	5504.88	3.41
PARK+GREEN	1679680.82	1692777.86	169.28	13097.04	16.69
COMMERCIAL	279361.73	279361.73	27.94	0.00	2.75
GROUP HOUSING	388641.44	388641.44	38.86	0.00	3.83
INFORMAL	233760.11	233760.11	23.38	0.00	2.30
AREA UNDER ROAD	2546301.16	2621124.95	262.11	74823.79	25.84

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना को तैयार करना और अन्तिम रूप देना) विनियमावली 2011 के प्रस्तर 12 में उल्लिखित है कि "सेक्टर अभिन्यास योजना-मुख्य कार्यपालक अधिकारी सेक्टर या सेक्टर के किसी आंशिक भाग अथवा परियोजना के लिए तैयार की गयी अभिन्यास योजना को अनुमोदित करने के लिए सक्षम होगा। सेक्टर या सेक्टर के किसी आंशिक भाग अथवा परियोजना के अभिन्यास योजना में किसी संशोधन को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समुचित रूप से अनुमोदित किया जाएगा। यदि ऐसे संशोधन में किसी सेक्टर के क्षेत्रफल और/अथवा सार्वजनिक पार्क और/अथवा हरित पट्टी की

टिप्पणी

पेज संख्या - 287-

अवस्थिति में अन्तः सैक्टर परिवर्तन सम्मिलित है तो इसे विनियम-11 की उपधारा-2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।" तदकम में अवगत कराना है कि उक्त संशोधन से सैक्टर-18 के तलपट मानचित्र में रोड व ग्रीन एरिया में परिवर्तन हुआ है तथा सैक्टर-18 के एरिया चार्ट में भी परिवर्तन हुआ है। तदकम में उOप्रO शासन द्वारा अधिसूचित यमुना एक्सप्रेसवे क्षविकास क्षेत्र (योजना को तैयार करना और अन्तिम रूप देना) विनियमावली 2011 के अनुसार जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

तदकम में सैक्टर-18 का संशोधित तलपट मानचित्र पत्रावली के पार्श्व में संलग्न कर पत्रावली अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MCA
Admission

Deputy
 28/10/24

Chief
 28/10/2024 28.10.2024

GM(Ptg) / OSD(SB)

1
 28/10/24

28/10/2024

Asst
CEO(SB)

28/10/24

Asst

GM(Ptg)
 28/10/2024